

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि०-१११)

.....

संख्या: पर.(ए.पी.) सी-ए(३)-७/२०१०-१ | तारीख शिमला-०२,

28. 05.2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(३)-७/२०१०, तारीख 03 अगस्त 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-१११ (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-१११ (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (पाँचवां संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे:-

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय/हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पदों को लागू नहीं होंगे:

उपाबन्ध-"क" का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक वर्ग-१११ (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-"क" में:-

- (क) स्तम्भ संख्या: 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सम्बद्ध विभाग के कनिष्ठ सहायकों या रेस्टोरर (केवल ऐसे स्थापन (स्थापनों) जहां रेस्टोरर का प्रवर्ग वरिष्ठ सहायक के पद

के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियमों की अधिसूचना से पूर्व प्रचलित भर्ती और प्रोन्नति नियमों में वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए सम्भरक प्रवर्ग था) में से प्रोन्नति द्वारा जो 10+2 या इसके समतुल्य जैसे हायर सेकेंडरी पार्ट-11, इन्टरमिडिएट आदि की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यक्षीन जिनका लिपिक या कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के सेवाकाल को सम्मिलित करके कनिष्ठ सहायक के रूप में दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

वरिष्ठता की गणना अभ्यर्थी के कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानन की तारीख से की जाएगी। स्थानन की तारीख एक ही होने की दशा में पदधारियों को चक्रण द्वारा अर्थात् उक्त तारीख को लिपिक और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी) में से इस प्रकार रखे एक—एक के आधार पर विचार किया जाएगा।

परन्तु रिस्टोरर प्रवर्ग के केवल वे ही पदधारी वरिष्ठ सहायक के पदों की प्रोन्नति के लिए विचारे जाएंगे जिन्होंने लिपिकों के लिए यथा विहित टंकण परीक्षा अर्हित की हो:

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यक्षीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्ता परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में

“कार्यकाल” से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवग ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

स्पष्टीकरण III : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान ।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने

गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्याधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल; (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने सशस्त्र बल में आपातकाल की अवधि के दौरान पदग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल(रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ

वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।”

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I Dated 28th May, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

**Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)**

No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010-I Dated: Shimla-02, 28.05.2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3)-7/2010 dated 3rd August 2011, namely:-

- Short title and Commencement
1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion (Fifth Amendment) Rules, 2020.
- (2) These rules come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.
- (3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of State of Himachal Pradesh:

Provided that these rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/High Court/Secretariat Administration Department of Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A

2

In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:-

- (a) For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted, namely:-

“By promotion from amongst the Junior Assistants of concerned departments OR Restorer [*only in such establishment(s) where the category of Restorer was a feeder category for promotion to the post of Senior Assistant in the prevailing R&P Rules prior to notification of Common R&P Rules for the post of Senior Assistant*] subject to possessing of requisite educational qualification of 10+2 or its equivalent like Higher Secondary Part-II, Intermediate etc. with ten years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Junior Assistant combined with Clerk or Junior Office

Assistant(IT).

The seniority will be reckoned from the date of placement of the incumbent(s) as Junior Assistant. In the case of same date of placement, the incumbents will be considered by rotation i.e. on one to one basis so placed from Clerk and Junior Office Assistant (IT) on the said date.

Provided that only those incumbents of Restorer category who have qualified typing test as prescribed for Clerks will be considered for promotion to the post of Senior Assistant;

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kowar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhawal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III: For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under:

- i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of

emergency and recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.”

By Order

R.D.Dhiman
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
